

सं.24/11/2014-पब्लिक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1

दिनांक: 7 अगस्त, 2014

आदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री अजीत कुमार द्वारा दायर प्रथम अपील के संबंध में।

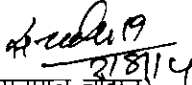
जबकि श्री अजीत कुमार ने अपने दिनांक 28.03.2014 के आवेदन (दिनांक 01.07.2014 को प्राप्त) के जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से प्राप्त अपने दिनांक 17.12.2013 के अभ्यावेदन पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना मांगी थी।

2. जबकि, आवेदक के उक्त अनुरोध का उत्तर इस मंत्रालय के पत्र के तहत दिनांक 10.07.2014 को और उसका हिन्दी रूपांतरण दिनांक 17.07.2014 को भेजा गया था।

3. जबकि, श्री अजीत कुमार से दिनांक 23.07.2014 को पब्लिक अनुभाग में एक दिनांक रहित अपील प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनको अपने दिनांक 28.03.2014 के अनुरोध के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

4. जबकि, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूचना पहले से मुहैया करवा दी गई है, अतः दिनांक 10.07.2014 के उत्तर तथा दिनांक 17.07.2014 के इसके हिन्दी रूपांतरण की प्रति दुबारा संलग्न की जाती है।

तदनुसार, उक्त अपील का निपटान किया जाता है।


(सतपाल चौहान)

संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री अजीत कुमार,
137, एम आई जी, यशोदा देवी पथ,
लोहिया नगर, कंकर बाग कालोनी,
पटना-20

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित:-

1. आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.07.2014 के का.जा.सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।
2. अनुभाग अधिकारी (आई टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को प्राप्त आर टी आई अपील और संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के जरिए दिए गए इसके उत्तर को "सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत सूचना" शीर्ष के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट में की-वर्ड पर आधारित तलाश सुविधा के साथ अपलोड करने हेतु आवेदक की आर टी आई अपील की प्रति के साथ प्रेषित।